Inspira-Journal of Commerce, Economics & Computer Science (JCECS)
ISSN : 2395-7069 (Print), General Impact Factor : 2.0546, Volume 03, No. 04, Oct.-Dec., 2017, pp. 387-394

jktLFkku esa iapk;r jkt% ¼nkSlk ,oa vyoj ds lanHkZ esa½

gjlgk; ehuk*
Mk- 'kkjnk frokjh**

सार

राजस्थान में ग्राम पंचायते प्राचीन काल से विद्यमान थी। प्रारंभ में वे ही पंचकुली कहलाती थी, और मुखिया की अध्यक्षता में इसे महन्त कहा जाता है। राजकुल द्वारा किए जाने वाले दान की सूचना पंचायत की बैठक में प्रस्तुत करना आवश्यक था। इससे यह प्रतीत होता है कि उन दिनों ग्राम पंचायतें कितनी महत्वपूर्ण संस्था के रूप मे कार्य करती थी। मुगल काल में मुगल शासकों ने ग्रामीण समाज में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया, फलतः ग्रामीण प्रशासन ज्यों का त्यों चलता रहा। अंग्रेजी शासन में राजस्थान में पर्वू स्थित ग्राम पंचायतों का धीरें–धीरे अतं होने लगा, पंचायतों से उनकी न्यायिक शक्ति छीन ली गई, परन्तु उनका सामाजिक नियंत्रण ज्यों का त्यों बना रहेगा। अंग्रेजों के शासन काल में स्थानीय सस्थंाओं के विकास के लिए कुछ प्रयास किए गये थे, जिनको दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान में पंचायतों के उत्थान के लिए कुछ प्रयास किए गए। ये प्रयास स्वतंत्रता के पश्चात् राजस्थान के एकीकरण तक जारी रहें।

प्रस्तावना

पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता व समानता लाने, सत्ता के विकेन्द्रीकरण तथा जन भागीदारी के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए तथा पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक शक्तियाँ तथा अधिकार देने के उद्वेश्य से केन्द्र सरकार ने 73 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया। जिसे राज्य सरकारों को एक वर्ष तक लागू करना था। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने अपने पुराने पंचायती अधिनियम 1955 व पंचायत समिति व जिला परिषद् अधिनियम 1959 को निरस्त कर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पारित कर राजस्थान में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। नवीन पंचायती राज व्यवस्थाओं की स्थापना की गयी।

iapk;rh jkt dh LFkkiuk o fodkl

पंचायती राज की स्थापना भारतीय लोकतंत्र की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण तथा पंचायती राज दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है।शासन के ऊपरी स्तरों (केन्द्र एवं राज्य) पर कोई भी लोकतंत्र तब तक सफल नही ं हो सकता जब तक कि निचलें स्तर पर लोकतांत्रिक मान्यताएं एवं मूल्य शक्तिशाली न हो। देश में पंचायतों को चार्ल्स मैटकाफ ने "लघुगणराज्य" का नाम दिया। अतः लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था ही वह माध्यम है जो शासन को सामान्यजन के दरवाजें तक लाता है। पंचायत शब्द की व्युत्पति संस्कृत भाषा के शब्द "पंचायतन" से हुई है जिसका अर्थ है "पांच व्यक्तियों का

---

* शोधार्थी, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग, वाणिज्य संकाय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।
** शोध पर्यवेक्षक एवं सहायक आचार्या, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध विभाग, वाणिज्य संकाय, बाबा भगवान दास, राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा (शाहपुरा), जयपुर, राजस्थान।

समूह"। शाब्दिक दृष्टि से पंचायती शब्द हिन्दी भाषा के दो शब्दों "पंचायत" और "राज" से मिलकर बना है। जिसका अर्थ है "पांच प्रतिनिधियों के समूह का शासन"। ये पांच प्रतिनिधि है –ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र तथा परमेश्वर।

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का गठन वस्तुतः स्वातंत्रयोत्तर काल में ही हुआ। प्राचीन काल में पंचायतें अपने विशिष्ट स्वरूप में विद्यमान रही है, परन्तु आधुनिक भारत में जो पंचायती राज की अवधारणा है। वह इसके प्रारम्भिक स्वरूप से काफी भिन्न है। प्राचीन भारत में पंचायते जहाँ "पंच परमेश्वर" के सिंद्वात पर आधारित होकर न्यायपालिका का कार्य करती है। वहाँ वर्तमान में पंचायती राज औपचारिक संवैधानिक संस्थाए है जिन्हें ग्रामीण विकास, नियोजन एवं प्रशासनिक ईकाई के रूप में कार्य करने के लिए गठित किया गया है। वर्तमान में इनकी प्रकृति राजनीतिक अधिक है, और इनके चुनाव भी दलीय आधार पर लड़े जाते है। आधुनिक अर्थो में पंचायती राज सस्ंथाओं का जो स्वरूप उभर कर आया है। जिसे हम आज पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानते है।

1953 में राज्य विधानसभा द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 में पारित किया गया। जिसे राष्ट्रपति की अनुमति के पष्चात् जनवरी, 1954 में अधिनियम का स्वरूप प्रदान किया गया। इसके अनुसार राज्य में ग्राम पंचायत और तहसील पंचायतों का गठन किया गया।1964 में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन हेतु सादिक अली कमेटी नियुक्त की गयी। समिति ने अनिवार्य करारोपण एवं दो पंचायतों के बीच एक ग्रुप सचिव की पदस्थापना की सिफारिश की। गिरधारी लाल व्यास कमेटी, 1973 में भी प्रत्येक पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक नियुक्त करने एवं पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकताओं पर बल दिया। समिति की यह भी सिफारिश थी कि ग्रामीण क्षेत्रों की सभी योजनाएं मय स्टॉफ व बजट जिला परिषद को हस्तांतरित की जाए। हरलाल सिंह खर्रा समिति, 1990 ने ग्रामीण सुविधाओं से जुड़े सभी प्रशासनिक मामलों में विशेषकर शिक्षा, आयुर्वेद, स्वास्थ्य, हैण्डपम्प आदि में पंचायती राज सस्ंथाओं का नियत्रंण आवश्यक बताया। जिला परिषद्ों एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को एक करने की अनुशंसा की गयी।

jkT; fuokpu fuokpu vk;kx dk xBu

संवैधानिक प्रावधानों के अतंर्गत राज्य में निर्वाचन आयोग का गठन 1994 मे किया गया। आयोग के तत्वाधान में ही दिसम्बर 1994 से मार्च 1995 की अवधि में 1994 के नये अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए। पांच साल बाद जनवरी–फरवरी 2000 में राज्य की 9189 ग्राम पंचायत, 237 पंचायत समिति व 33 जिला परिषद के चुनाव की देखरेख में सम्पन्न हुए, जिनमें राज्य के लगभग 2.5 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया जनवरी–फरवरी 2005 मे आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं के चुनाव सम्पन्न करायें।

jkTkLFkku esa iapk;rh jkt O;oLFkk

बलवंत राय मेहता समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित प्रतिमान ही कालान्तर में पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाने जाते है। वर्तमान काल से राजस्थान में स्वायत्तशासी निकाय, 23 अप्रैल, 1994 से परिवर्तित "राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994" की धारा 9 से 91 तक पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने हेतु उन सभी प्रावधानो को समाविष्ट करती है। जो कि 73 वें संविधान संशोधन में प्रविधित है। पंचायती राज या लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण की प्रणाली के अधीन ग्राम, खण्ड और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय स्थानीय स्वायत्तशासी निकाय स्थापित किये गये है।

- iapk;rh jkt dh f=Lrjh; O;oLFkk ¼lajpuk½
  - ftyk ifj"kn
    - – जिला प्रमुख
    - – उप जिला प्रमुख
    - – सदस्य

- i¡pk;r lfefr
  - – प्रधान
  - – उपप्रधान
  - – सदस्य
- xkke i¡pk;r
  - – सरपंच
  - – उपसरपंच
  - – पंच

- xke i¡pk;r

ग्राम स्तर पर कार्य करने हेतु जनता चुनावी प्रक्रिया द्वारा सरपंच एवं वार्ड पंचो का प्रत्यक्ष निर्वाचन करती है, जिसे ही "ग्राम पंचायत" कहा जाता है। सर्वप्रथम पंचायतों के चुनाव 1960 में करवाये गये। 1999 से उपसरपंच भी पंचायत समिति में सदस्य बने है। ग्रामीण विकास का दायित्व ग्राम पंचायत पर होता है।

xke i¡pk;r dh LFkkiuk

अधिनियम 1994 की धारा 9 में राजस्थान मे ं पंचायती राज के निकाय ग्राम पंचायत के गठन संबंधी प्रावधान हैः

- राज्य सरकार, राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा, तत्समय प्रवृत किसी भी विधि के अधीन गठित किसी नगरपालिका या किसी छावनी बोर्ड में सम्मिलित नही ं किये गये। किसी गावं या गावों के किसी समूहो ं को समाविष्ट करने वाले किसी भी स्थानीय क्षेत्र को पंचायत सर्किल घोषित कर सकेगी। प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए एक पंचायत होगी।
- प्रत्येक पंचायत, राज्यपत्र में अधिसूचना नाम से, एक निर्गमित निकाय होगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी, तथा इस अधिनियम या किसी भी अन्य विधि के द्वारा या अधीन अधिरोपित किन्ही भी निर्वाचनों और शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, उसे कृत्य, दान द्वारा या अन्यथा स्थावर और जंगम दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित, धारित, प्रशासित और अन्तरित करने तथा कोई भी संविदा करने की शक्ति होगी, और उस पर वाद चलाया जाएगा।

- i¡pk;r dh lajpuk

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 12 के अनुसार (1) किसी पंचायत मेंः

- एक सरपंच, और
- इतने वार्डो से प्रत्यक्ष निर्वाचित पंच जो उपधारा 2 के अधीन अवधारित किये जायेगें, राज्य सरकार ऐसे नियमों के, जो इसे निर्मित किये जायें, के अनुसार प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए वार्डो की संख्या अवधारित करेगी, और ऐसा होने पर पंचायत सर्किल को एकल सदस्य वार्डो में इस प्रकार विभाजित करेगी कि प्रत्येक वार्डो की जनसंख्या, जहाँ तक व्यवहार्य हो सम्पूर्ण पंचायत सर्किल में समान हो।

- पंचायत में चुने जाने वाले पंचो की योग्यताएं

जनसामान्य के लिए पंचायत निकाय में पंच सदस्य के रूप में निर्वाचित होने हेतु निम्न योग्यताएं निर्धारित की गयी है। कि वहः

- सरकारी लाभ के पद पर न हो।

- न्यायालय द्वारा अपराधी या दिवालिया घोषित किया गया न हो।
- शारीरिक या मानसिक दोष या रोगग्रस्त न हो।

fdlh iapk;r jkt laLFkk dk xBu djus ds fy, fuokZpu

- उपधारा (1) में विर्निदिष्ट उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व और
- विघटन की स्थिति में उसके विघटन की तारीख से छः मास की कालावधि की समाप्ति के पूर्व पूरा किया जाएगा।
- परन्तु जहाँ कालावधि का ऐसा शेष भाग जिसके लिए विघटित पंचायती राज संस्था बनी रहती, छः मास से कम का है वहाँ ऐसी कालावधि के लिए पंचायती राज संस्था गठित करने के लिए इस खण्ड के अधीन कोई निर्वाचन करवाना आवश्यक नहीं होगा।
- ऐसी कोई पंचायत राज संस्था, जो उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके विघटन के फलस्वरूप गठित की गई हो, कालावधि उप–धारा (1) के अधीन वह तब बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की गई हो।
- राज्य सरकार पंचायती राज सरं थाओं के निर्वाचन संबंधी या उससे जुड़े सभी विषयों, जिनमें निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, वार्डो या निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी विषय सम्मिलित है, और ऐसी संस्थाओं के सम्यक् गठन को सुनिश्चित करने के आवश्यक, अन्य सभी विषयों के संबंध में, समय–समय पर नियमों द्वारा उपबंध कर सकेगी।

- **LFkkuksa dk vkj{k.k**
  - अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का किसी पंचायती राज संस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ यथावत् निकटतम वहीं अनुपात
  - होगा, जो उस पंचायती राज संस्था के क्षेत्र में ऐसी जातियों या यथास्थिति जनजातियों की संख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है।
  - अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) में ग्राम पंचायत में स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित है।

- **lnL;ksa dh in fu;qfDr**

प्रस्तुत अधिनियम में प्रावधान है कि पंच, उपसरपंच एवं सरपंच द्वारा विकास अधिकारी के समक्ष दिया गया त्याग पत्र 15 दिन की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् प्रभावी हो जाएगा।

- **iapk;r ds lnL;ksa dk fuyEcu**

ग्राम पंचायत के सदस्य (पंच, सरपंच एवं उपसरपंच) यदि कार्य करने में सक्षम न हो या दुराचरण करते है या किसी कार्य के लिए दोषी है तो उन्हें राज्य सरकार पंचायती राज अधिनियम के तहत निलम्बित कर सकती है।

- **okf"kZd ctV] ys[kk vkSj laijh{kk**

पंचायत के बजट के संबंध में अधिनियम है कि सरपंच की एक निश्चित तारीख से पूर्व, निश्चित तारीख तक की या समाप्ति होने वाले वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से आरम्भ) का समस्त बजट तैयार करके उच्च संस्था के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इन सभी लेखो की संपरीक्षा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर सकता है।

- **iapk;rksa dh lkekU; 'kfDr;k¡**

अधिनियम के अधीन सौंपे गये सभी कार्य करना और विशिष्टता तथा पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसके अधीन निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग ग्राम पंचायत करेगी। यही पंचायतों की सामान्य शक्ति कहलाती है।

- lji:p d: vf/kdkj o dÙk0;

सरपंच ग्राम का प्रथम नागरिक कहलाता है। जो कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। सरपंच की कार्यकुशलता एवं ईमानदारी से गांव प्रगति कर सकता है। अधिनियम द्वारा सरपंच को अनेक शक्तियां, अधिकार, कर्त्तव्य प्रदान किये गये है।

- lji:p d: l:o/kkfud dÙk0; ,o: nkf;Ro

अपने कार्यो में पूर्ण ईमानदारी एवं कर्त्तव्यपरायणता बरतना सरपंच का दायित्व है। वह अपने राजनीतिक कर्त्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करे अर्थात् किसी प्रकार की रिश्वत, पक्षपात, स्वार्थ, अवैध उपहार आदि का उपयोग न करे। सभी के लिए समानता का परिचय देवें तथा परमार्थ की भावना से कार्य करे। सरपंच का दायित्व है, कि वह पंचायत के लेखों को अभिरक्षा में रखे, तथा किसी प्रकार की जालसाजी न होने दे। सरपंच का दायित्व बनता है, कि वह अधिनियम में प्रविधित कर्त्तव्यों का कुशलता से पालन करे। पंचायत कोष का दुरूपयोग न करे – अधिनियम 1994 की धारा 111 में प्रविधित है, कि पंचायत की सम्पत्ति का दुरूपयोग न होने दे, तथा उसे अधिक से अधिक विकास कार्यो में लगाए। सरपंच ही वह मुखिया होता है, जो कि पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करने का कार्य करता है। सरपंच की उपस्थिति में कोई व्यक्ति बैठक का आयोजन एवं अध्यक्षता नहीं कर सकता है। (धारा 32 (1) ख)78 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 में ग्राम सभा के आयोजन की व्यवस्था की गई है। इन ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन तथा अध्यक्षता करने का अधिकार सरपंच को दिया गया है। ये सभी ग्राम सभाएं ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा में आवश्यक भूमिका अदा करती है।

- i:pk;r lfefr

खण्ड स्तर पर बलवंत राय मेहता समिति द्वारा प्रस्तावित प्रतिमानों के आधार पर पंचायत समिति की स्थापना की गई है। पंचायत समिति स्थानीय स्वशासन का मध्यवर्ती सोपान है। विभिन्न राज्यो ं में यह स्वायत्तशासी निकाय भिन्न–भिन्न नामो ं से सुशोभित किया जाता है। राजस्थान, उड़ी सा, बिहार में पंचायत समिति नूतन अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष चुनी हुई संस्था है।

- ftyk ifj"kn

भारत में "जिला प्रशासन" एक ऐतिहासिक निरन्तरता है। भारतीय इतिहास के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि जिला सदैव प्रशासन की आधारभूत ईकाई रहा है। मनु की कृति "मनुस्मृति" में भी जिला प्रशासन के प्रमाण प्राप्त होते है। मौर्यकाल मे ं राज्य अनेक प्रशासनिक इकाईयों में विभक्त था। इनके प्रमुख अधिकारी को "राजुका" कहा जाता था। मुगलकाल में राज्य सूबों, सरकार व परगना में विभाजित था। जिले ं को "सरकार" व इसके मुख्य अधिकारी को 'मनसबदार' कहा जाता था। इसे सैन्य व नागरिक प्रकृति के दायित्व सौंपे गये थे। भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की जो त्रि–स्तरीय योजना बलवंतराय मेहता ने प्रस्तुत की थी, उसमें जिला परिषद् सर्वोच्च इकाई है। इसे ग्रामीण स्थानीय शासन की शिखर इकाई भी माना जाता है। चूंकि जिला लम्बे समय से प्रशासन की इकाई बना हुआ है, और सुदूर क्षेत्रों में कार्य करने वाले विभिन्न शासकीय विभागो ं के मध्य सांमजस्य स्थापित करता आ रहा है, इसलिए जिलें के अन्तर्गत गठित होने वाली समितियों के लिए यह आवश्यक होगा कि जिला स्तर पर कोई ऐसी संरचना हो, जो जिले की पंचायत समितियों के मध्य प्रशासकीय सांमजस्य स्थापित कर सके। इसलिए समिति ने जिला परिषद् का सुझाव दिया था। बलवंतराय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की इस सर्वोच्च इकाई "जिला परिषद्" को मौलिक कार्यक्षेत्र और दायित्व सौंपने की अपेक्षा इसे अपने अधीन गठित की जाने वाली पंचायत समितियों एवं उनके क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के निदेशन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण और समन्वय स्थापित करने का कार्य ही दिया था।

- ie[k vkj mie[k dk fuokpu

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण में जिला परिषद् के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्य, यथाशीघ्र अपने में से दो सदस्यों के क्रमशः प्रमुख और उपप्रमुख चुनेगें और जब–जब प्रमुख या उपप्रमुख के पदों में आकस्मिक रिक्ति हो तब–तब अपने में से किसी अन्य सदस्य को प्रमुख या उपप्रमुख चुनेगें। यदि यह रिक्ति एक मास से कम की कालावधि के लिए हो तो कोई भी निर्वाचन नही कराया जाएगा। अधिनियम व्यवस्था करता है कि जिला परिषद् के प्रमुख या उपप्रमुख का निर्वाचन और उन पदों पर होने वाली रिक्ति का भरा जाना ऐसे नियमों के अनुसार होगा, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विनिर्धारित किए जाए।

- nklk ftys dk jktfufrd ifjp;

73 वें सविधान संशोधन की व्यवस्था के उपरान्त राजस्थान में वर्ष 1995 में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव सम्पन्न हुए। इन चुनावों में प्रथम बार महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी, जो बढ़ाकर अब 50 प्रतिशत कर दी गयी है, परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं निर्वाचित होकर आयी। प्रस्तुत शोध अध्ययन का विषय क्षेत्र राजस्थान के "दौसा एवं अलवर जिले" है। दौसा जिलें के अनुसंधान सर्वेक्षण अध्ययन के लिए दौसा जिलें की पांच पंचायत समितियों (दौसा, बाँदीकुई, महवा, सिकराय, लालसोट) का चयन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से पंचायत स्तर प्रतिनिधियों व नगरपालिका व वार्डो के प्रतिनिधियों तथा दौसा जिलें के प्रतिनिधियों का चयन किया गया है। दौसा जिलें में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की रूपरेखा के अध्ययन हेतु एक प्रश्नावली तैयार की गयी है। जिसका मुख्य उद्धेश्य उत्तरदाता और उसके परिवार के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करना, उत्तरदाता की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने व राजनीति में आने के कारण की जानकारी प्राप्त करना, कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं की जानकारी, उत्तरदाता की जानकारी और जागरूकता जैसे 73 वें संविधान संशोधन के बारे में, महिला आरक्षण के बारे में तथा पंचायती राज संस्थाओं में मीटिंग सहित उनके द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्यो का अनुभव आदि निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते उत्तरदाता से कुछ विषयों पर अनुभव के बारे में जानकारी प्राप्त करना है।

रेखाचित्र 4.1 दौसा जिलाः पंचायत समितियों के नाम

- vyoj ftys dk jktuhfrd ifjp;

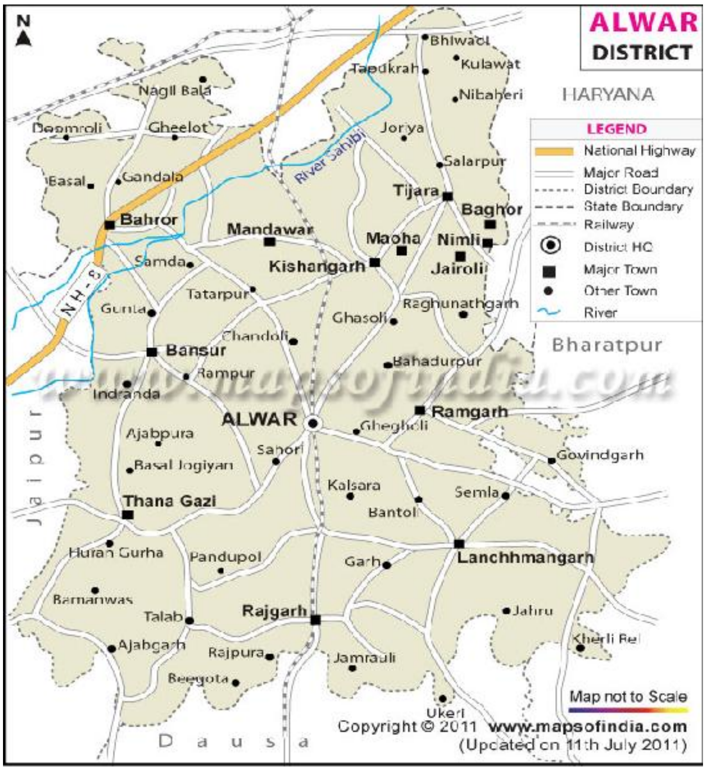

रेखाचित्र 4.2 अलवर जिलाः पंचायत समितियों के नाम

I nHk xFk I ph

- मिश्रा डॉ. नन्दलाल, "नई पंचायतीराज व्यवस्था और ग्रामीण विकास", (ग्राम स्वराज्य के विशेष संदर्भ में) बी. एस. शर्मा एण्ड ब्रदर्स, आगरा, 2001, पृ. सं. 26
- स्वामी डॉ. एच. आर., डॉ. बी. पी. गुप्ता, "ग्रामीण विकास व सहकारिता", रमेश बुक डिपो, 2005,2006, पृ. सं. 106
- स्वामी डॉ. एच. आर., डॉ. बी. पी. गुप्ता, "ग्रामीण विकास व सहकारिता", रमेश बुक डिपो, 2005,2006, पृ. सं. 107
- जोशी आर. पी., रूपा मंगलानी, "पंचायती राज के नवीन आयाम", यूनिवर्सिटी बुक हाउस, प्रा. लि. जयपुर, 1998, पृ. सं. 34
- शर्मा डॉ. श्रीमती पारूल, "पंचायती राज प्रशासन", रितु पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2007, पृ. सं. 2
- जोशी आर. पी., रूपा मंगलानी, "पंचायती राज के नवीन आयाम", यूनिवर्सिटि बुक हाउस, प्रा. लि. जयपुर, 1998, पृ. सं. 33
- विजय करण सिंह, "पंचायती राज व्यवस्था", आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2005, पृ. सं. 2
- जोशी आर. पी., रूपा मंगलानी, "पंचायती राज के नवीन आयाम", यूनिवर्सिटी बुक हाउस, प्रा. लि. जयपुर, 1998, पृ. सं. 13
- उपर्युक्त – पृ. सं. 130
- जोशी आर. पी., रूपा मंगलानी, "पंचायती राज के नवीन आयाम", यूनिवर्सिटी बुक हाउस, प्रा. लि. जयपुर, 1998, पृ. सं. 1
- डॉ. शमता सेठ, "पंचायतीराज", हिमाशु पब्लिकेशन्स, उदयपुर, नई दिल्ली, 2002, पृ. सं. 4
- स्नेह राय, "कुरूक्षेत्र", ग्रामीण विकास मंत्रालयय अंक – 10, अगस्त,नई दिल्ली, 2006, पृ. सं. 13

- महीपाल, "पंचायतीराज चुनौतियां एवं संभावनाएं", नेशनल बुक इंडिया, नई दिल्ली, 2005, पृ. सं. 3
- विजय करण सिंह, "पंचायती राज व्यवस्था", आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2005, पृ. सं. 26
- जोशी आर. पी., रूपा मंगलानी, "पंचायती राज के नवीन आयाम",यूनिवर्सिटी बुक हाउस, प्रा. लि. जयपुर, 1998, पृ. सं. 3
- डॉ. शमता सेठ, "पंचायतीराज", हिमाशु पब्लिकेशन्स, उदयपुर, नई दिल्ली, 2002, पृ. सं. 9
- शर्मा डॉ. श्रीमती पारूल, "पंचायती राज प्रशासन", रितु पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2007, पृ. सं. 30
- शर्मा अशोक, "भारत में स्थानीय प्रशासन", आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2011, पृ. सं. 16
- जोशी आर. पी., रूपा मंगलानी, "पंचायती राज के नवीन आयाम", यूनिवर्सिटी बुक हाउस, प्रा. लि. जयपुर, 1998, पृ. सं. 3
- शर्मा अशोक, "भारत में स्थानीय प्रशासन", आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2011, पृ. सं. 18
- मिश्र निरंजन, "भारत मे पंचायती राज", परिबोध पब्लिशर्स, जयपुर, 2006, पृ. सं. 14
- शर्मा अशोक, "भारत में स्थानीय प्रशासन", आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2011, पृ. सं. 20,21
- मिश्र निरंजन, "भारत मे पंचायती राज", परिबोध पब्लिशर्स, जयपुर, 2006, पृ. सं. 15
- शर्मा अशोक, "भारत में स्थानीय प्रशासन", आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2011, पृ. सं. 22,23
- जोशी आर. पी., रूपा मंगलानी, "पंचायती राज के नवीन आयाम", यूनिवर्सिटी बुक हाउस, प्रा. लि. जयपुर, 1998, पृ. सं. 5
- डॉ. शमता सेठ, "पंचायतीराज", हिमाशु पब्लिकेशन्स, उदयपुर, नई दिल्ली, 2002, पृ. सं. 19
- डॉ. शमता सेठ, "पंचायतीराज", हिमाशु पब्लिकेशन्स, उदयपुर, नई दिल्ली, 2002, पृ. सं. 21
- शर्मा डॉ. श्रीमती पारूल, "पंचायती राज प्रशासन", रितु पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2007, पृ. सं. 57
- शर्मा श्री गिरिराज, "पंचायती राज और कमजोर वर्ग", आलेख पब्लिशर्स, जयपुर, 2008, पृ. सं. 39,40
- मिश्र निरंजन, "भारत मे पंचायती राज", परिबोध पब्लिशर्स, जयपुर, 2006, पृ. सं. 19
- राठौड मधु, "पंचायती राज और महिला विकास", पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2002, पृ. सं. 6,7
- शर्मा श्री गिरिराज, "पंचायती राज और कमजोर वर्ग", आलेख पब्लिशर्स, जयपुर, 2008, पृ. सं. 42
- डॉ. शमता सेठ, "पंचायतीराज", हिमाशु पब्लिकेशन्स, उदयपुर, नई दिल्ली, 2002, पृ. सं. 28
- शर्मा श्री गिरिराज, "पंचायती राज और कमजोर वर्ग", आलेख पब्लिशर्स, जयपुर, 2008, पृ. सं. 43,44
- मिश्र निरंजन, "भारत मे पंचायती राज", परिबोध पब्लिशर्स, जयपुर, 2006, पृ. सं. 17
- स्नेह राय, "कुरूक्षेत्र", ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, वर्ष 52, अंक 10, अगस्त, 2006, पृ. सं. 15
- शर्मा डॉ. श्रीमती पारूल, "पंचायती राज प्रशासन", रितु पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2007, पृ. सं. 85,86
- मिश्र निरंजन, "भारत मे पंचायती राज", परिबोध पब्लिशर्स, जयपुर, 2006, पृ. सं. 48
- स्नेह राय, "कुरूक्षेत्र", ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, वर्ष 52, अंक 10, अगस्त, 2006, पृ. सं. 15
- महीपाल, "पंचायतीराज चुनौतियां एवं संभावनाएं", नेशनल बुक इंडिया, नई दिल्ली, 2005, पृ. सं. 133
- शर्मा श्री गिरिराज, "पंचायती राज और कमजोर वर्ग", आलेख पब्लिशर्स, जयपुर, 2008, पृ. सं. 45
- तिवाड़ी रघुनाथ प्रसाद, रामलाल कंचन सिंह चौधरी, "राजस्थान मे पंचायत कानून", ऋचा प्रकाशन, जयपुर, 2000, पृ. सं. 8
- माहेश्वरी एस. आर., "इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशन ओडिएट लॉगमैन", नई दिल्ली, 1989, पृ. सं. 359,360

❍❍❍